अध्याय

6

अध्याय 6

गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में परियोजनाओं की निगरानी

6.1 प्रस्तावना

सीपीसीबी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के सहयोग से वर्ष 2009-10 के दौरान 88 मुख्य औद्योगिक समूहों का व्यापक पर्यावरण आंकलन, व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) [26] के आधार पर किया। इन 88 औद्योगिक समूहों में से 43 औद्योगिक समूहों ने सीईपीआई के 0 से 100 के पैमाने पर 70 तथा इससे अधिक अंक प्राप्त किए, जिन्हें गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीऐ) के रूप में चिह्नित किया गया। हमने 352 परियोजनाओं को चयनित किया जिन्हें 2008-12 के दौरान ईसी प्राप्त हूआ था।

6.2 प्रतिबन्ध का अधिरोपण

एमओईएफएंडसीसी ने 2010-2014 की अवधि के दौरान 43 सीपीऐ की पर्यावरण गुणवत्ता को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये:-

1. एमओईएफएंडसीसी ने जनवरी 2010 मे 43 सीपीऐ के ईसी की मजूंरी पर प्रतिबन्ध लगाया। हालाँकि, सितम्बर 2013 में एमओईएफएंडसीसी ने उन मौजूदा परियोजनाओं/गतिविधियों के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं / गतिविधियों की अनुमति दी, जो प्रदूषण को नहीं बढ़ा रही थी तथा सीपीए में भौतिक ढाँचा जैसे राजमार्ग, हवाई रोपवे, सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र तथा सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा जिन पर प्रतिबन्ध था।

   एमओईएफएंडसीसी ने प्रतिबन्ध लगाते समय औद्योगिक क्षेत्रों में संभावित प्रभाव क्षेत्रों को परिभाषित किया।

2. वर्ष 2011 से 2013 के दौरान सीपीसीबी द्वारा पर्यावरण गुणवत्ता निगरानी को अंजाम दिया तथा सीईपीआई का मूल्यांकन 43 सीपीऐ में दर्ज निगरानी आँकड़ों के आधार पर किया। अक्तूबर 2010 से सितंबर 2013 के दौरान एमओईएफएंडसीसी ने एसपीसीबी द्वारा विवरण के आधार पर यह कहते हुए प्रतिबन्ध को हटाया कि कार्य योजना के प्रस्तुतीकरण में पहले से ही कुछ मूल कार्य किया गया था। तदनुसार प्रतिबन्ध को 26 सीपीऐ से हटा लिया गया जैसा कि तालिका 6.1 में उल्लिखित हैं।

[26] सीईपीआई स्त्रोत, मार्ग और रिसेप्टर के एल्गोरिथ्म के बाद दिए गए स्थान पर पर्यावरण की गुणवत्ता को चिह्नित करने के लिए एक तर्कसंगत संख्या है।

तालिका 6.1 हटाये गए प्रतिबन्ध का विवरण

प्रतिबंध हटाने की तिथि	सीपीऐ
26 अक्तूबर 2010	पाटनचेरू- बोल्लाराम- आंध्रप्रदेश- मंडीगोबिंदगढ़- पंजाब, वापी-गुजरात, कोयम्बटूर- तमिलनाडु तथा तारापुर-महाराष्ट्र
15 फरवरी 2011	नवी मुंबई, डोम्बिवली तथा औरंगाबाद - महाराष्ट्र, लुधियाना - पंजाब, आगरा तथा वाराणसी-मिर्ज़ापुर-उत्तरप्रदेश, कुड्डालोर-तमिलनाडु तथा भावनगर-गुजरात
31 मार्च 2011	इंदौर-मध्यप्रदेश, अंगुल-तालचेर-उडीशा, फरीदाबाद तथा पानीपत-हरियाणा गाजियाबाद तथा नॉएडा -उत्तर प्रदेश, जूनागढ़-गुजरात
23 मई 2011	भद्रावती तथा मंगलौर - कर्नाटक, ग्रेटर कोच्चिं -केरला
05 जुलाई 2011	आइ बी घाटी,झारुसुगुदा -उडीशा, सिंगरोली - उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का हिस्सा
17 सितम्बर 2013	कानपूर - उत्तर प्रदेश, आसनसोल, हल्दिया तथा हावड़ा - पश्चिमी बंगाल, धनबाद - झारखण्ड, कोरबा - छत्तीसगढ़, अहमदाबाद - गुजरात, विशाखापत्तनम-आन्ध्रप्रदेश, मनाली - तमिलनाडू तथा भिवाडी-राजस्थान

तत्पश्चात, सितम्बर 2013 में एमओईएफएंडसीसी ने 10 अतिरिक्त सीपीऐ से प्रतिबन्ध हटा दिया तथा आठ सीपीऐ पर पुनः प्रतिबन्ध लगा दिया गाजियाबाद (यूपी), इंदौर (एमपी), झारुसुगुदा (उडीशा), लुधियाना (पंजाब), पानीपत (हरियाणा), पाटनचेरू-बोल्लारम (एपी), सिंगरोली (एमपी और यूपी) तथा वाणी (गुजरात), हालाँकि जून 2014 में इन आठ सीपीए पर लगाये गए प्रतिबन्ध को निलम्बन में रखा गया।

3. एमओईएफएंडसीसी ने (सितम्बर 2013) सीपीसीबी को सीईपीआई की गणना हेतु द्विवार्षिक आधार पर तीसरी पार्टी के द्वारा सीपीऐ में पर्यावरण गुणवत्ता निगरानी का दायित्व लेने के निर्देश दिए।

सीपीसीबी ने उन फर्मों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जिसके द्वारा मई 2016 तक पर्यावरण गुणवत्ता निगरानी की जानी थी यद्यपि कार्य को वर्ष 2015 में पूरा किया जाना था। इस प्रकार, सीपीए में सीईपीआई स्कोर में वृद्धि या कमी दो साल की समय सीमा के भीतर भी मूल्यांकित नहीं हुई। इसके अलावा, 70 या उससे अधिक के सीईपीआई स्कोर के सीपीए पर प्रतिबंध का अधिरोपण, और 70 से कम सीईपीआई स्कोर के सीपीए पर प्रतिबंध को उठाने का मूल्यांकन नहीं किया। सीपीसीबी ने मई 2016 में कथित किया कि 43 सीपीऐ में पर्यावरण गुणवत्ता की निगरानी का उत्तरदायित्व सीपीसीबी द्वारा 2016-17 में लिया जायेगा।

एमओईएफएंडसीसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए यह कथित किया (अक्तूबर 2016) कि धन की कमी तथा अन्य प्रशासनिक गतिविधियों की वजह से सीपीसीबी द्वारा 2015 में तीसरे पक्ष की निगरानी नहीं की जा सकी। क्षेत्रवार निगरानी

एजेंसी को अंतिम रूप देना प्रक्रिया में था तथा सीईपीआई स्कोर का मूल्यांकन 2016-17 में किए जाने की आशा थी।

6.3 कार्य योजनाओ की तैयारीः

हमारी जाँच से यह पता चला कि 16 राज्यों में से जहाँ सीपीऐ आते हैं एसपीसीबी के 12 राज्यों राजस्थान, आँध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उडीसा, पंजाब, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल ने कार्य योजना तैयार की। तीन राज्यों में (गुजरात, झारखण्ड, और महाराष्ट्र) कार्य योजना की तैयारी की स्थिति निश्चित नहीं की जा सकी। दिल्ली के मामले में इसे 'लागू नहीं' के रूप में कथित किया गया, यद्यपि नजफगढ़ ड्रेन बेसिन के साथ आनंद पर्वत, नारायणा, ओखला तथा वजीरपुर को सीपीसीबी द्वारा सीपीए के रूप में चिह्नित किया गया।

एमओईएफएंडसीसी ने (अक्तूबर 2016) में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकृत करते हुए कथित किया कि नजफगढ़ ड्रेन बेसिन, दिल्ली की कार्ययोजना ड्राफ्ट चरण पर थी।

6.4 एसपीसीबी/यूटीपीसीसी की वेबसाइटो पर अनुमोदित कार्य योजना का प्रदर्शन :-

रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला की कुल 16 राज्यों में से केवल 6 राज्यों (आँध्रप्रदेश छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उडीसा, पंजाब, राजस्थान) की कार्ययोजनाओ को ही एसपीसीबी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया जबकि 4 राज्यों (झारखण्ड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल) की कार्ययोजनाओ को एसपीसीबी की वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया गया । एसपीसीबी द्वारा 4 राज्यों (दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र) से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई ।

एमओईएफएंडसीसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए यह कथित (अक्तूबर 2016) किया कि 16 एसपीसीबी को उनकी वेबसाइट पर कार्ययोजना अपलोड करने के निर्देश दे दिए गए हैं ।

6.5 कार्य योजना के कार्यान्वयन कि गैर निगरानी :-

नौ राज्यों (आँध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, उडीसा, मध्यप्रदेश, पंजाब, तमिलनाडू, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल) की कार्ययोजना के कार्यान्वयन एसपीसीबी द्वारा जांच किया गया है जबकि छः राज्यों (गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश) में यह एसपीसीबी द्वारा जांच नहीं किया गया तथा दिल्ली के विषय में यह कथित हैं कि यह लागू नहीं था।

पंजाब और छत्तीसगढ़ में कार्य योजना के कार्यान्वयन की कमी के उदाहरण मामले नीचे दिए गए हैः

लुधियाना सीपीए के मामले में यह देखा गया कि सिवर लाइन का काम पूरा नहीं हुआ था। लुधियाना में फैली हुई डेयरियो को दिसम्बर 2010 तक स्थानांतरित किया जाना था तथा बायो-गैस संयंत्र का भी निर्माण किया जाना था । हमने नोटिस किया कि न तो डेयरियों को स्थानांतरित किया गया और न ही अपेक्षित संयंत्र का निर्माण किया गया । नगर नगम लुधियाना ने 31 मार्च 2014 तक एकीकृत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा को प्रतिस्थापित करना था, हालाँकि ठोस अपशिष्ट को शहर के केवल 40% में ही एकत्रित किया गया। रँगाई उद्योगों के लिए सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र (सीईटीपी) को प्रतिस्थापित किया जाना था जो कि पूरा नहीं किया गया। जब फरवरी 2011 में प्रतिबन्ध लगाया गया तब सीईपीआई 81.66 था और वर्ष 2013 व 2014 के दौरान सीईपीआई 75.72 तथा 63.35 था जो कि घटती हई प्रवृत्ति थी। वर्तमान वर्ष के लिए सीईपीआई उपलब्ध नहीं था।

बुद्धानाला में डेयरी अपशिष्ट का बहाव

इसी तरह मंडी, गोबिंदगढ़ में ईटीपी को स्थापित नहीं किया गया। अनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता हैं, हालाँकि ऐसा नहीं किया गया। 2010 में मंडी, गोबिंदगढ़ का सीईपीआई 75.08 था, सीईपीआई का मौजूदा स्तर उपलब्ध नहीं था।

एमओईएफएंडसीसी ने कथित (अक्तूबर 2016) किया कि कार्ययोजना का कार्यान्वयन प्रक्रिया में था, सीवर का बिछाव इत्यादि सीपीसीबी/एसपीसीबी के अधिदेश के अनुसार नहीं था। नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के स्थापना तथा रँगाई उद्योगों हेतु सीईटीपी की स्थापना पर कोई उत्तर नहीं दिया गया। मंडी, गोबिंदगढ़ के विषय में यह कथित किया गया कि कार्य योजना का कार्यान्वयन प्रगति में था तथा सभी उद्योग ईटीपी की स्थापना कर चुके हैं। हालाँकि, यह तथ्य हैं कि अनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को स्थानांतरित नहीं किया गया।

कोरबा सीपीए के मामलें में, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ने सीपीसीबी के साथ एक उपचारात्मक कार्ययोजना तैयार की जिसे कोरबा कार्य योजना कहा जाता हैं। सुझाई गई उपचारात्मक कार्ययोजना कि स्थिति तथा जनवरी 2015 को इसकी उपलब्धियां तालिका 6.2 में दी गयी हैं।

तालिका 6.2 बिजली संयत्रो द्वारा इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रसिपिटेटर (ईएसपी) के गैर - प्रतिस्थापन की स्थिति :

उघोग का नाम	लक्ष्य तिथि	जनवरी 2015 की स्थिति
1. कोरबा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन, मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड, जामनीपाली, कोरबा (2600 मे.वा)	अक्तूबर 2009, फ़रवरी 2016 तक संशोधित	दिसम्बर 2012 में कार्य आदेश जारी किए गए , कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ हैं।
2. हसदेव थेर्मल पॉवर स्टेशन मैसर्स सीएसईबी, (पश्चिमी) कोरबा, कोरबा, (840 मे.वा)	अक्तूबर 2009, दिसम्बर 2015 तक संशोधित	विस्तृत प्रस्ताव अभी प्रस्तुत किया जाना हैं।
3. कोरबा थेर्मल पॉवर स्टेशन मैसर्स सीएसईबी, (पूर्व)कोरबा, कोरबा (440 मे.वा)	अक्तूबर 2009 दिसम्बर 2011 तक संशोधित किया गया	उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. भारत एलुमिनियम प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स बाल्को कैप्टिव पॉवर प्लांट, जामनी पाली (270 मे.वा)	अक्तूबर 2009, अगस्त 2015 तक संशोधित किया गया	उन्नयन कार्य प्रगति पर हैं, ऐसा कहा गया।

उपरोक्त तालिका दर्शाती हैं कि यधपि उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के कदम उठाये गए, परन्तु किसी भी उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण के कारण के विशिष्ट तत्त्व की मात्रा को घटने के लिए आवश्यक ईएसपीज की स्थापना नहीं की गयी।

हमने यह भी देखा कि पॉवर संयत्रो द्वारा संयत्रो से उत्पन्न फ्लाई ऐश का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था हालाँकि किसी उद्योग ने लक्ष्य प्राप्ति नहीं की जैसा कि 2014 में उनकी फ्लाई ऐश का उपयोग 9 तथा 56 प्रतिशत था। मैसर्स भारत एल्यूमिनियम कॉ लिमिटेड, कोरबा (एल्यूमिनियम स्मेल्टर संयंत्र) दिसम्बर 2011 तक स्पेन्ट पोट लाइनर[27] उपयोग को सुनिश्चित करने, एल्यूमिनियम फ्लोराइड के उपचार तथा सुधार व सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का प्रतिस्थापन अपेक्षित था, हालाँकि उद्योगों ने इसका पालन नहीं किया।

आगे नगर निगम तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधुत उत्पादन कंपनी, कोरबा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के प्रतिस्थापन में विफल रही, जिस कारण पूरा अनुपचारित अपशिष्ट हसदेव नदी में प्रवाहित करने से जल प्रदूषण हो रहा था। साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), कोरबा दिसम्बर 2012 तक कोयला वाशरिज स्थापित करने की अपेक्षा थी, परन्तु तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी उद्योग द्वारा यह

[27] ऐसी तकनीक जो अपशिष्ट का उपचार करके उसे स्थिरता प्रदान करे (अपशिष्ट हानिरहित प्रतिपादन) स्थिर अपशिष्ट के लैंडफिल्लिगं को सक्षम बनाए तथा अपशिष्ट से उत्पादों को बनाए।

नहीं किया गया। उद्योगों ने कोरबा शहर में वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए वांछित मात्रा में सीएएक्यूएमएस स्टेशनों की स्थापना भी नहीं की।

एमओईएफएण्डसीसी ने कहा (अक्तूबर 2016) कि सभी टीपीपीज में ईएसपीज की स्थापना उनके आरम्भ से की गयी थी। ईएसपीज का नवीकरण सतत प्रक्रिया हैं तथा समय समय पर निधि की उपलब्धता पर निर्भर हैं। इसने आगे कहा कि सीएसईबी (पूर्व) के अतिरिक्त ईएसपीज के नवीकरण का कार्य या तो पूरा हो गया था या प्रगति पर था। फ्लाई ऐश के उपयोग पर यह कहा कि कोरबा में यह 60 प्रतिशत के आस पास था तथा मंत्रालय द्वारा इसके 100 प्रतिशत उपयोग के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

6.6 सीपीसीबी को निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत न करना

एसपीसीबीज दवारा सीपीएज की वार्षिक निगरानी रिपोर्ट सीपीसीबी के लिए प्रस्तुत करना था। हमारी जाँच ने यह पाया कि वर्ष 2011 से 2015 के दौरान आठ राज्यों (आँध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, उडीशा, राजस्थान, तमिलनाडू, तथा पश्चिम बंगाल) ने सीपीसीबी की नियमित रूप से निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत की जबकि सात राज्यों (छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र) ने सीपीसीबी को निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। उत्तर प्रदेश के मामले में, रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं की गयी।

केवल 6 राज्यों (आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिल नाडू तथा उत्तर प्रदेश) ने बढे हुए प्रदूषण को सीपीसीबी के साथ साथ एमओईएफएण्डसीसी के संज्ञान में लाया गया जबकि अन्य राज्यों ने पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी नहीं की।

6.7 तीसरी पार्टी द्वारा कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी

अप्रैल 2016 में सीपीसीबी द्वारा संबंधित एसपीसीबीज को तीसरी पार्टी द्वारा वर्ष में दो बार निगरानी के निर्देश दिए गए। तीसरी पार्टी निगरानी 5 राज्यों (आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, उडीशा, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल) द्वारा की गयी तथा कर्नाटक के मामले में दो परियोजनाओं में से केवल एक परियोजना (जो एमआरपीएल है) की निगरानी की गयी। बाकि दस राज्यों में तीसरी पार्टी द्वारा कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी नहीं की गयी।

एमओईएफएण्डसीसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अक्तूबर 2016) कि सभी एसपीसीबीज को नियमित रूप से सीपीएज में तीसरी पार्टी निगरानी के दायित्व के निर्देश दे दिए गए हैं।

6.8 उपसंहार

एमओईएफएण्डसीसी/ सीपीसीबी ने सभी 43 सीपीएज में फर्म के अंतिम रूप न देने के कारण पर्यावरण गुणवत्ता की निगरानी आरम्भ नहीं हो सकी। एसपीसीबीज/यूटीपीसीसीज ने सीपीसीबी से अनुमोदित कार्य योजनाओं को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया। एसपीसीबीज/यूटीपीसीसीज ने कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी नहीं की। एसपीसीबीज/यूटीपीसीसीज ने कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी तीसरी पार्टी द्वारा भी नहीं करवाई।

6.9 सिफ़ारिशें

हम सिफ़ारिशें करते है कि,

i. एमओईएफ़एण्डसीसी नियमित अंतरालों पर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र की कार्ययोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को परामर्शी जारी करें।

(पैराग्राफ 6.3)